

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1564 भोपाल, दिनांक 14-3-24
प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO/283 दिनांक 24.01.2024.

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Govt. shall submit comments of CWLW, Madhya Pradesh.	आवेदक संस्थान ने वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/ FP/MP/ROAD/121709/2021 से किया गया है, जो राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के स्तर पर लंबित है।
2	The User Agency shall submit an undertaking that the Wildlife Management Plan and assurance to comply with the guidelines regarding depositing 2% of project cost as part of Wildlife Management Plan in CAMPA.	आवेदक संस्थान द्वारा Wildlife Management Plan की 2% राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है, वचन पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
3	After examining the proposal it is not clear whether the existing width which is said to have been built before 1980, has also been included for diversion. Otherwise, in this context, take note of the guideline dated 15.03.2023 and make sure to act accordingly.	प्रस्तावित मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा वर्ष 1980 के पूर्व की सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोग्राफी ऑनलाईन अपलोड की गई है। <i>हस्ताक्षर</i> <i>संलग्न है।</i>

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

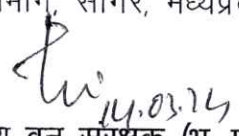
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
[Signature]
14.03.24
(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1565
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14-3-24

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल